



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2011/चैत्र 11, 1933

No. 568]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2011/CHAITRA 11, 1933

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2011

विषय: विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए विनियम और दिशा-निर्देश

का.आ. 683(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश बनाता है।

1. भूमिका

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पैरा 7.6 में विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के आधुनिकीकरण और उन्नयन का प्रावधान किया गया है।

ये औद्योगिकीकृत क्षेत्र 70 के दशक में विकसित हुए और इन वर्षों में इनकी भौतिक आधारिक संरचना खराब होती गई और कुछ मामलों में तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र में कमियां आ गईं। इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में कार्यकलापों की प्रकृति में परिवर्तन रहे हैं और प्लॉटों के भाग का ऐसे कार्यकलापों के लिए उपयोग करने हेतु मांगे भी रही हैं, जिन्हें व्यावसायिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस बात को देखने की आवश्यकता भी हो सकती है कि क्या उद्योगों/इकाइयों की बड़ी संख्या को समायोजित करने के लिए उप-विभाजन द्वारा छोटे प्लॉटों के रूप में और

सघनीकरण संभव है । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए दिशानिर्देश, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार और स्थानीय निकाय के साथ परामर्श करके दि.वि.प्रा. द्वारा 2 वर्षों के अन्दर बनाए जाएं । उस समय तक, विद्यमान उप-विभाजन जारी रह सकते हैं ।

इसलिए, पर्यावरण पर विचार करते हुए विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के आधुनिकीकरण और उन्नयन की आवश्यकता है । चूँकि अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र बहु-जन परिवहन कॉरिडोरों के साथ स्थित हैं, इसलिए पुनर्विकास की प्रक्रिया के माध्यम से इन क्षेत्रों के आसपास उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता भी है ।

उन्नयन और पुनर्विकास की इस प्रक्रिया को सार्वजनिक-निजी सहभागिता के फ्रेमवर्क के साथ एक नियोजित तरीके से किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें उद्यमी, सुधार और बाद में समुचित संचालन और अनुरक्षण व्यवस्थाओं के माध्यम से रखरखाव में योगदान देंगे ।

उपर्युक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश बनाए गए हैं :

2. विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास हेतु मानदण्ड

2.1 विद्यमान नियोजित औद्योगिक प्लॉटों का पुनर्विकास

2.1 पुनर्विकास को प्रोत्साहन देने के लिए न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर और अधिक के वैयक्तिक प्लॉट पर विद्यमान अनुमेय एफ.ए.आर. के 1.5 गुना की अनुमति दी जाएगी । उस उद्देश्य के लिए छोटे प्लॉटों को मिलाने की भी अनुमति दी जाएगी । योजना में सर्विस लेन को भी शामिल किया जा सकता है, तथापि, इस क्षेत्र पर एफ.ए.आर. नहीं दिया जाएगा, परंतु सम्पूर्ण योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे-हरित क्षेत्र, पार्किंग आदि के लिए इसे शामिल किया जा सकता है । 1000 वर्ग मीटर और अधिक के प्लॉटों पर इन पुनर्विकास योजनाओं में, फ्लैटिड समूह उद्योगों के लिए दिल्ली मुख्य योजना-2021 के विकास नियंत्रण मानदण्ड (तालिका 7.3) लागू होंगे, एफ.ए.आर. और ऊँचाई को छोड़कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों से अनापत्ति की शर्त पर एन.आर.-प्रतिबंध नहीं) । सर्वोच्च न्यायालय के 1996 एवं 2004 के आदेशों के अनुसार बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत आबंटित औद्योगिक प्लॉटों के समामेलन और पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

2.12 सम्पूर्ण नियोजित औद्योगिक एस्टेट/क्षेत्र का व्यापक पुनर्विकास, दिल्ली मुख्य योजना-2021 की तालिका 7.2 में दिए गए भूमि वितरण की शर्त पर, विद्यमान अनुमेय एफ.ए.आर. के 1.5 गुना के साथ अनुमेय होगा ।

औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र के व्यापक पुनर्विकास अथवा उसके भाग के पुनर्विकास की अनुमति भी अल्पतम 4 हैक्टे. और अधिक क्षेत्रफल में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर इंसेंटिव एफ.ए.आर. सहित दी जाएगी -

- क. भूतल कवरेज, एफ.ए.आर. और ऊँचाई व्यापक स्कीम की कुल नियंत्रण शर्तों के अनुसार होंगी तथा अन्य विकास नियंत्रण दि.मु.यो.-2021 के अनुसार होंगे ।
- ख. जहाँ कहीं भी संभव होगा, औद्योगिक एसोसिएशन स्कीम क्षेत्र के अन्दर सामूहिक पार्किंग/मल्टी-लेवल पार्किंग/अनिवार्य सामूहिक सुविधा क्षेत्रों आदि के लिए भूमि स्थल की पहचान/व्यवस्था करेंगी ।
- ग. आगे के भाग में चारदीवारी (बाउंडरी वॉल) नहीं होनी चाहिए, ताकि यह अतिरिक्त पार्किंग/रोड स्पेस के लिए उपयोग में लाई जा सके ।

2.2 विद्यमान नियोजित औद्योगिक शेडों का पुनर्विकास

- 2.2.1 दि.मु.यो.-2021 (तालिका 7.3) के विकास नियंत्रण मानदंड जो कि व्यक्तिगत प्लॉट पर लागू होते हैं, किसी औद्योगिक शेड के रूप में आवंटित किए गए क्षेत्र पर भी लागू होंगे । तथापि सेटबैक पर ये मानक लागू नहीं किए जाएंगे ।
- 2.2.2 शेडों के आवंटित क्षेत्रफल के 1.5 गुणा की अनुमति उस क्षेत्र की समग्र योजना के माध्यम से पुनर्विकास के प्रयोजन हेतु प्रोसाहन के रूप में होगी । ऐसे उद्देश्य हेतु मिश्रित शेडों का अल्पतम प्लॉट क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा । 1000 वर्ग मीटर और इससे अधिक क्षेत्रफल के प्लॉटों पर ऐसी पुनर्विकास स्कीमों में दि.मु.यो.-2021 के विकास नियंत्रण मानदंड (तालिका 7.3) फ्लैटिड गुप वाले उद्योगों के लिए एफ.ए.आर. और ऊँचाई को छोड़कर लागू होंगे । (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा और अन्य वैधानिक निकायों से अनुमति के आधार पर एन.आर.-कोई प्रतिबंध नहीं) ।

2.3 प्लॉटों के उप-विभाजन द्वारा विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास

मुख्य योजना-2021 में यह भी प्रावधान है कि बड़े प्लॉटों का उप-विभाजन करके छोटे प्लॉटों को बनाए रखा जाएगा और ऐसे उप-विभाजनों को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की सिफारिश की है । तदनुसार उप-विभाजित प्लॉटों के स्वामी सामूहिक रूप से ले-आउट प्लान तैयार करके अनुमोदनार्थ स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ बी.बी.एल. के अनुसार अथवा स्थानीय निकाय की संतुष्टि हेतु आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे ।

स्थानीय निकाय द्वारा ले-आउट प्लान के अनुमोदन के बाद, व्यक्तिगत प्लॉट पर भवन नक्शे की मंजूरी तालिका 7.3 में दिए गए दि.मु.यो.-2021 के विकास नियंत्रण मानकों द्वारा शासित की जाएगी ।

3. उपर्युक्त सभी श्रेणियों के लिए लागू अन्य शर्तें

- (i) अग्नि-शमन, विस्फोटक, पर्यावरण विभागों और अन्य वैधानिक निकायों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
- (ii) सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान जैसे-ई एस एस, ठोस कचरा संग्रहण, सुविधा क्षेत्र/खुले क्षेत्रों और सी ई टी पी का प्रावधान, आपदा प्रबंधन योजना की जाँच की जाए तथा समग्र स्कीम के लिए औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशनों/स्थानीय निकास द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार प्रावधान किया जाए ।
- (iii) प्लॉटों के सभी तलों पर औद्योगिक कार्य-कलापों की अनुमति होगी ।
- (iv) तहखानों की अनुमति दि.मु.यो.-2021 के विकास कोड के खंड 8(5) के अनुसार होगी ।
- (v) संबंधित स्थानीय निकाय और स्टेक-होल्डर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध तरीके से कार्यविधि के अनुसार कार्य करेंगे और समुचित संचालन तथा रखरखाव व्यवस्था द्वारा बाद में उसका रखरखाव करेंगे ।

विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास हेतु दिशानिर्देशों से संबंधित दि.मु.यो.-2021 का संबद्ध सार

1. दिशानिर्देशों के पैरा 2.1.1 हेतु

तालिका 7.3 : विकास नियंत्रण मानक

उपयोग परिसर	अधिकतम			पार्किंग मानक ई.सी.एस./फर्श क्षेत्रफल का 100 वर्ग मी.	अनुमत कार्यकलाप	परिभाषा
	तल कव. (%)	एफ.ए. आर.	ऊँचाई (मी०)			
औद्योगिक प्लॉट						
(i) 50 वर्ग मीटर और कम	100	200	8	2	औद्योगिक इकाइयाँ:केवल भू-तल पर फर्श क्षेत्रफल के अधिकतम 10% तक	उन औद्योगिक कार्यकलापों के लिए एक परिसर जिसमें 50
(ii) 51 वर्ग मीटर से 400 वर्ग मीटर तक	60	180	15	2	इकाई फुटकर बिक्री आउटलेट ; निगरानी एवं देखभाल हेतु आवासीय फ्लैट फर्श क्षेत्रफल की	कर्मचारी तक हों और जोखिम रहित और प्रदूषण रहित कार्य का निष्पादन हो ।
(iii) 401 वर्ग मीटर से अधिक	50	150	15	2	5% अधिकतम सीमा तक या 50 वर्ग मीटर, जो भी	

						कम हो, औद्योगिक कार्यकलापों से संबंधित आनुषंगिक भण्डारण (—) पाद टिप्पणी (vi) के अनुसार व्यावसायिक कार्यकलाप ।	
फ्लैटिड समूह उद्योग (न्यूनतम प्लॉट आकार—400 वर्ग मीटर)	30	150	26	2		औद्योगिक इकाइयाँ : प्रशासनिक कार्यालय, निगरानी एवं देखभाल, फर्श क्षेत्रफल के अधिकतम 5 प्रतिशत तक या 20 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, विनिर्माण कार्यकलाप से संबंधित गोदाम । पाद टिप्पणी (vi) के अनुसार व्यावसायिक कार्यकलाप ।	परिसर जिसमें, लघु उद्योग इकाइयों का एक समूह हो और 20 तक कर्मचारी हों तथा सामान्य सेवाओं और सुविधाओं सहित जोखिम रहित और प्रदूषण रहित कार्य निष्पादन हो ।

टिप्पणियाँ—

- (i) 60 वर्ग मीटर तक के आकार के प्लॉटों के मामले में आम पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (ii) 500 वर्ग मीटर और इससे अधिक आकार के प्लॉटों के मामले में ई.एस.एस., भूमिगत जल भंडारण टैंक, छत पर जल संग्रहण प्रणाली, गीले और सूखे कूड़े के लिए अलग-अलग कूड़ेदान, सोलर हीटिंग/लाइटिंग प्रणाली आदि जैसी सेवाएं प्लॉट के अन्दर ही उपलब्ध करानी होंगी ।
- (iii) भूखंडीय औद्योगिक क्षेत्रफल मानदंडों के अनुसार निर्धारित सेवा केन्द्रों को नियोजित किया जाए ।
- (iv) औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत अनुमेय सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास ।
- (v) औद्योगिक परिसरों में बैंक्वेट हॉल की अनुमति होगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित परिवर्तन प्रभारों सहित निर्धारित किए जाने वाले विनिर्देशों/विनियमों की शर्तों पर निर्भर होगी ।
- (vi) औद्योगिक इकाइयाँ/प्लॉट जो 24 मी० और उससे ऊपर के मार्गाधिकार वाली सड़कों के साथ लगे हुए हैं, वे विद्यमान विकास नियंत्रण मानकों के अंतर्गत व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित परिवर्तन प्रभारों और सरकार द्वारा समय-समय

पर यथा निर्धारित पार्किंग की लागत का भुगतान कर देते हैं । ऐसे प्लॉटों में स्थानीय बाजारों में अनुमेय कार्यकलापों की अनुमति होगी । इसके अतिरिक्त, बहुस्तरीय पार्किंग की भी अनुमति होगी । तथापि, इसकी अनुमति असंगत/नियमित किए गए औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं दी जाएगी । उपर्युक्त प्रावधान किसी भी प्रकार से उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा ।

2. दिशा-निर्देशों के पैरा 2.1.2 हेतु

तालिका 7.2 औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि वितरण के मानदंड

क्र०सं०	उपयोग परिसर	प्रतिशतता
1.	औद्योगिक प्लॉट (निवल क्षेत्रफल)	55-60
2.	मनोरंजनात्मक : बफर जोन, पार्क, जल निकास, उच्च ताप लाइनों के नीचे का हरित क्षेत्र आदि ।	10-12
3.	व्यावसायिक : विपणन केन्द्र, पेट्रोल पम्प, गैस्ट हाउस/बजट होटल, लॉजिंग एंड बोर्डिंग, सेवा एवं मरम्मत दुकानें/संचार/टेलीफोन एक्सचेंज आदि ।	2-3
4.	सुविधाएं:- <ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक : दमकल केन्द्र/दमकल चौकी, पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी, अस्पताल/डिस्पेंसरी, आई.टी.आई./पॉलिटेकनिक, धर्मशाला, रैन बसेरा, डे-केयर सेंटर आदि । उपयोगिता : विद्युत सब स्टेशन, सी.ई.टी.पी.एस. पम्पिंग स्टेशन, भूमिगत जलाशय/अग्नि शमन टैंक और अन्य उप-योगिताएँ आदि । 	8-10
	परिवहन : परिचालन, लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्र, पार्किंग, खाली ट्रक पार्किंग, माल भरे वाहनों की पार्किंग आदि ।	18-20
	कुल	100

[फा. सं. एफ. 17(5)2007/एम.पी.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2011

Subject : Regulations and Guidelines for Redevelopment of Existing Planned Industrial Area

S.O. 683(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations and Guidelines for Redevelopment of Existing Planned Industrial Areas.

1. Introduction:

Master Plan for Delhi-2021 under Para 7.6 envisages modernization and up gradation of existing planned industrial areas.

These industrialized areas were developed in the 70's and over the years, have deteriorated considerably in terms of physical infrastructure and, in some cases deficiencies on this score have persisted in an overall sense. Besides, there have been changes in the nature of activities in some of the areas and there have also been demands for using part of the plots for activities, which could be classified as commercial. There may also be a need to see whether further densification is possible in terms of creating smaller plots by sub-divisions to accommodate a larger number of industries/units. Guidelines for redevelopment of existing industrial areas shall be framed within 2 years by DDA in consultation with GNCTD and the local body. Till such time, the existing sub divisions may continue.

There is, therefore, a need for modernization and up-gradation of the existing industrial areas with due regard to environmental considerations. Since most of the industrial areas are located along the Mass Public Transport Corridors, there is also a need for optimizing the use around these areas through the process of redevelopment.

This process of up-gradation and redevelopment will need to be carried out in a planned manner, and in a public-private partnership framework, in which the entrepreneurs contribute to the betterment and subsequent maintenance through suitable Operation and Maintenance arrangements.

In view of the above stipulations, following guidelines have been framed.

2. Norms for Redevelopment of Existing Planned Industrial Areas:**2.1 Redevelopment of Existing Planned Industrial Plots.**

2.1.1 To incentivize redevelopment, 1.5 times the existing permissible FAR shall be permitted on an individual plot of minimum 1000 sqm and above. For that purpose amalgamation of smaller plots shall also be allowed. The service lane can also be included in the schemes,

1203 GI/11-3

however, no FAR shall be granted on this area but the same can be included for public areas like green, parking etc. in the overall schemes. In such redevelopment schemes on plots of 1000 sqm and above, development control norms of MPD-2021 (Table 7.3) for flatted group industries shall be applicable except FAR and Height (NR - No Restriction, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies). Amalgamation and reconstruction of industrial plots allotted under the scheme (s) framed pursuant to Supreme Court orders of 1996 & 2004 will not be permissible.

2.1.2 Comprehensive Redevelopment of the overall existing planned Industrial Estate/Area shall be permitted with 1.5 times the existing permissible FAR subject to land distribution as given in Table 7.2 of MPD-2021. Comprehensive redevelopment of part of the Industrial Estate/Area would also be permitted with incentive FAR with minimum area 4 ha. and above, subject to the following conditions :-

- a) The Ground Coverage, FAR and height to be as per the overall control conditions of the comprehensive scheme and other Development Controls shall be as per MPD-2021.
- b) Industrial Associations wherever possible would identify/provide area for common parking/Multi-level parking/essential common facility areas etc. within the scheme area.
- c) Front setback should not have boundary wall, so that it can be used for additional parking/road space.

2.2 Redevelopment of Existing Planned Industrial Sheds.

2.2.1 The development control norms of MPD-2021 (Table 7.3) as applicable on the individual plot shall also be allowed on an area allotted as an industrial shed. However, the setbacks shall not be insisted upon.

2.2.2 1.5 times the allotted area of sheds shall be permitted as incentive for the purpose of redevelopment through comprehensive planning of the area. The minimum plot area of amalgamated sheds for such purpose shall be 1000 sqm. In such redevelopment schemes on plots of 1000 sqm and above, development control norms of MPD-2021 (Table 7.3) for flatted group industries shall be applicable except FAR and Height (NR - No Restriction, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies).

2.3 Redevelopment of Existing Planned Industrial Areas through sub-division of plots.

Master Plan – 2021 also realizes that the existence of smaller plots by subdividing the larger plots and has recommended to prepare guidelines for regularization of such sub-divisions. Accordingly, the owners of sub-divided plots shall collectively prepare and submit the Layout plan to Local Body for approval along with the required mandatory documents as per BBL/to the satisfaction of the Local Body.

After approval of the layout plan by the local body, the sanction of the building plan on individual plot shall be governed by MPD-2021 development control norms given in the Table 7.3.

3. Other Conditions applicable to all above mentioned categories:

- i. No Objection Certificate from Fire, explosives, environment departments and other statutory bodies.
- ii. Provision of all essential facilities e.g. ESS, Solid waste collection, facility area/open spaces and or the provision of CETP/disaster management plan to be examined/provided as per norms by Industrial Area Associations/Local body for the overall scheme.
- iii. Industrial activity shall be permissible on all floor of the plots.
- iv. Permissibility of basements to be as per clause 8(5) of Development Code of the MPD-2021.
- v. The concerned local body and the stakeholders will work out the mechanism for implementation of the scheme in timebound manner and subsequent maintenance through suitable Operation and Maintenance arrangements.

Relevant Extracts from MPD-2021 related to the “Guidelines for Redevelopment of Existing Planned Industrial Areas”

1. For Para 2.1.1 of the Guidelines

Table 7.3 : Development Control Norms

Use Premises	Maximum			Parking standard ECS/100 sqm of floor area	Activities Permitted	Definition
	Gr. Cov. (%)	FAR	Ht (m)			
Industrial Plot						
(i) 50 sqm. and below	100	200	8	2	Industrial units; unit retail sales outlet and administrative office upto maximum 10% of floor area on ground floor only; residential flat upto the maximum extent of 5% of the floor space or 50 sqm. whichever is less for watch & ward and supervision, incidental storage [--] related to the industrial activity, commercial activity as per footnote (vi).	A premise for industrial activity having upto 50 workers with non-hazardous, non-polluting performance.
(ii) 51 sqm to 400 sqm.	60	180	15	2		
(iii) 401 sqm and above	50	150	15	2		
Flatted group Industry (Minimum plot size - 400 sqm.)	30	150	26	2	Industrial units; administrative office, watch and ward, maximum upto 5% of floor area or 20 sqm. whichever is less, storage related to the manufacturing activity, commercial activity as per footnote (vi).	A premise having a group of small industrial units having upto 20 workers with common services and facilities of non-hazardous, non-polluting nature.

Notes:

- i) In case of plots upto 60 sqm. common parking shall be provided.
- ii) In case of plots of size 500 sqm and above, the utilities such as E.S.S., underground water storage tank, roof top water harvesting system, separate dry and wet dustbins, solar heating/lighting system etc. shall be provided within the plot.
- iii) Identified Service Centres shall be planned as per plotted industrial area norms.
- iv) Development of IT hardware and software permissible under industrial use.
- v) Banquet hall shall be permissible in Industrial premises subject to specifications/regulations as may be prescribed, along with conversion charges as prescribed by the Government from time to time.
- vi) Industrial units/plots abutting roads of 24m ROW and above shall be eligible for conversion to commercial use within the existing development control norms, subject to payment of conversion charges as prescribed by the Government from time to time, and cost of parking as as decided by Government from the time to time. The activities permissible in local shopping

centres will be permitted in such plots. In addition, multilevel parking shall be permissible activity. However, this shall not be permitted on non-conforming / regularized industrial cluster. The above provision shall not affect the Supreme Court orders in any way.

2. For Para 2.1.2 of the Guidelines

Table 7.2: Norms for Land Distribution in Industrial Areas

S. No.	Use Premises	Percentage
1.	Industrial Plots (Net Area)	55-60
2.	Recreational: Buffer Zone, Parks, Water Bodies, Green under HT lines, etc.	10-12
3.	Commercial: Shopping Centre, Petrol Pumps, Guest House/Budget hotels, Lodging and Boarding, Service and Repair shops, Communication/Telephone Exchange, etc.	2-3
4.	Facilities <ul style="list-style-type: none"> • Public and Semi-Public: Fire Station/Fire Post, Police Station/Police Post, Hospital/Dispensary, IIT/Polytechnic, Dharamshala, Night Shelter, Day Care Centre, etc. • Utilities: Electric Sub-Station, CETPs, Pumping Stations, Underground Reservoirs/Fire Fighting Tanks and other utilities, etc. 	8-10
5.	Transportation: Circulation, Loading/Unloading Area, Parking, ideal truck Parking, Goods Vehicle Parking etc.	18-20
	Total	100

[F. No. F. 17(5)2007/MP]

D. SARKAR, Commissioner-Cum-Secy.